न्यायालयः अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद शिवहर।

पुरनहिया थाना कांड संख्या–34/2023

दिनांक 31.03.2023

काराधीन अभियुक्त–1. सुनील कुमार जिन्हें पिपराही थाना कांड संख्या–34/2023 अन्तर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दिनांक–25.03.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार सिंह द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक उत्पाद श्री दिलीप कुमार को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक पु0अ0नि0 लालराम देव पुरनहिया, शिवहर दिनांक 24.03.2023 को समय 16.30 बजे गुप्त सूचना मिली कि बसंतपटटी के सुनील कुमार ने भिखर महतो के घर के नजदीक शराब छुपा कर रखा है जो अवैध रूप से खरीद बिकी कर रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने छापामरी टीम के साथ भिखर महतो के घर के नजदी पहुॅचा तो देखा कि घर के बगल खेत में एक व्यक्ति खड़ा है जो अपने हाथ में औरेंज हरा छिटदार प्लास्टिक के झोला में कोई समान रखा है जो हम पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। तलाशी नियमों का पालन करते हुए उक्त पकड़ाये व्यक्ति के कब्जे से झोला की तलाशी लेने पर नेपाली करिश्मा देशी शराब पाया गया जिसे निकाल कर गिनती करने पर नेपाली करिश्मा देशी शराब 300 एम0एल0 का 13 बोतल पाया गया। नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनील कुमार बताया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया ।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नही किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति क कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास कोई शराब की बरामदगी नही है। आवेदक अभियुक्त दिनांक– 25.03.2023 से कारा में हैं। आवेदक अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नही है। आवेदक अभियुक्त सक्षम बंध पत्र देने को तैयार है तथा आवेदक अभियुक्त के प्रपलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख का अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त सुनील कुमार के द्वारा भिखर महतो के खेत मे छुपाये गये नेपाली करिश्मा देशी शराब 300 एम0एल0 का 13 बोतल के बरामदगी का अभियोग है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.03.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्त 1. सुनील कुमार के द्वारा मो0—10,000/— (दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि आवेदक अभियुक्त के दोनों जमानतदारों में से एक खास रिस्तेदार होने चाहिए एवं 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि वे अनुसंधान/विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेंगे। आवेदक अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि उनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नही है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

[signature]

अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,

शिवहर।

31-03-23
पश्चात

उपरोक्त आदेश के आलोक में कारापीन अभियुक्त सुनिल कुमार की ओर से जमानत बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय मुक्ति आदेश मंडल कारा, शिवहर को भेजे।

S/R
R10
378
issued
etc.

लेखापित

[signature]
Excise Spl
Judge Excise